बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः– *सं०सं०–03 / उ०नि० / योजना(औ०प्रो०नीति)–02 / 2015*............................ / पटना, दिनांक........................

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय :– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अतिरिक्त कुल ₹3950.56 लाख (उनचालिस करोड़ पचास लाख छप्पन हजार) मात्र की सब्सिडी के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–1511, दिनांक–25.05.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रौत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल **₹3950.56 लाख (उनचालिस करोड़ पचास लाख छप्पन हजार) मात्र** की सब्सिडी के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह एक चालू योजना है। उपलब्ध करायी गयी राशि का 5 प्रतिशत राशि महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की जायेगी।

3. विभागीय राज्यादेश सं0–1514, दिनांक–25.05.2017 एवं आवंटन सं0–13, दिनांक–29.05.2017 तथा विभागीय राज्यादेश सं0–1512, दिनांक–25.05.2017 एवं आवंटन सं0–14, दिनांक–29.05.2017 द्वारा विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद मे प्राप्त स्वीकृत / आवंटित राशि में से क्रमशः 2500.00 लाख एवं 1450.56 लाख मात्र की सम्भावित बचत को उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–170, दिनांक–11.01.2018 एवं पत्रांक–171, दिनांक–11.01.2018 द्वारा प्रत्यार्पित की गयी है। उक्त कुल राशि को वैट / प्रवेश कर / जी0एस0टी0 मद में प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त राशि के रूप में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन् प्राप्त है।

4. इस योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा जमा की गई वैट की राशि / प्रवेश–कर / जी0एस0टी0 की राशि पर कार्यरत एवं नयी औद्योगिक इकाईयों को वाणिज्यकर विभाग द्वारा वैट प्रतिपूर्त्ति / प्रवेश–कर / जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति देय है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रौत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत उक्त मद में राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु राज्य की औद्योगिक इकाईयों को पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर वैट / जी0एस0टी0 मद में जमा राशि के अनुसार वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रतिपूर्त्ति की जाती है। इसके लिए आवश्यक निधि उद्योग विभाग द्वारा वित्त– वाणिज्य–कर विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

5. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य योजना आय–व्ययक में बजट उपबंध में **₹3950.56 लाख (उनचालिस करोड़ पचास लाख छप्पन हजार) मात्र** विकलनीय होगा।

6. वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति के लिए उद्योग विभाग द्वारा आवेदन ऑनलाईन मंगाया जायेगा। विभाग इसकी जाँच कर सूची वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध करायेगी। उसी सूची के आलोक में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जाँचोपरान्त वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

क्रमशः पृष्ट–02...

7. वैट की प्रतिपूर्त्ति/प्रवेश कर/जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, बिहार, पटना को की जायेगी जो इसे आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अंचलों को उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के आलोक में उप आवंटित करेंगे।

8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला के वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य–कर विभाग होंगे जो वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन के आधार पर संबंधित जिला कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। राशि की निकासी वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक बिक्री–कर/संशोधन –05/2006–/88/CCI पटना, दिनांक 21.09.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

10. इस योजना अंतर्गत वैट/प्रवेश कर/जी0एस0टी0 की जमा राशि की प्रतिपूर्त्ति के लिए योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना होंगे।

11. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2017–18 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति/बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत घोषित रियायते एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्त्ति/खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समेकित रूप से पूर्व में ही ₹32451.87 लाख मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिकासंख्या–03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 158/टि0 पर प्राप्त है।

13. बचत की संभावित राशि को वैट/प्रवेश कर/जी0एस0टी0 मद की प्रतिपूर्त्ति हेतु अतिरिक्त राशि **₹3950.56 लाख (उनचालिस करोड़ पचास लाख छप्पन हजार) मात्र** उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 165/टि0 पर, दिनांक–04.01.2018 को प्राप्त है।

14. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–..............................

03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि–सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः पृष्ट–03...

ज्ञापांकः—......................./
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), —02/2015

पटना, दिनांक—..................................

प्रतिलिपिः—सभी जिला के वाणिज्य—कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य—कर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—......................./
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), —02/2015

पटना, दिनांक—..................................

प्रतिलिपिः— वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव, वाणिज्य—कर विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—......................./
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), —02/2015

पटना, दिनांक—..................................

प्रतिलिपिः— उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—262/
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), —02/2015

पटना, दिनांक—16.1.18

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय—व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय—व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तक0, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी—1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंन्धक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा—2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा—1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा—3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
16.1.18